न्यायालयः– विशेष न्यायाधीश, एन.डी.पी.एस. एक्ट, 1985 मुख्यालय वैढ़न जिला सिंगरौली (म0प्र0)

अजय कुमार साकेत पुत्र श्री गोविंद प्रसाद साकेत, उम्र 21 वर्ष, निवासी कचनी, थाना वैढ़न जिला सिंगरौली म.प्र.

.........आवेदक/आरोपी

विरुद्ध

म0प्र0 राज्य द्वारा थाना विंध्यनगर

.....................अभियोजन

आदेश दिनांक 05.06.2026

आवेदक/अभियुक्त **अजय कुमार साकेत** न्यायिक अभिरक्षा में जिला जेल सिंगरौली में निरूद्ध है, उसकी ओर से श्री नसीमुद्दीन अंसारी अधिवक्ता उपस्थित।

राज्य की ओर से अपर लोक अभियोजक श्री पी.के. नापित उपस्थित।

प्रकरण जमानत आवेदन पर तर्क हेतु नियत है।

थाना विंध्यनगर से केस डायरी मय प्रतिवेदन प्राप्त।

उभय पक्ष के तर्क श्रवण किये गये।

प्रकरण जमानत आवेदन पर आदेश हेतु थोड़ी देर पश्चात पेश हो।

उमेश कुमार सोनी
विशेष न्यायाधीश
स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985
मुख्यालय बैढ़न जिला सिंगरौली (म.प्र.)

पुनश्चः–

आवेदक/अभियुक्त **अजय कुमार साकेत** न्यायिक अभिरक्षा में जिला जेल सिंगरौली में निरूद्ध है, उसकी ओर से श्री नसीमुद्दीन अंसारी अधिवक्ता उपस्थित।

राज्य की ओर से अपर लोक अभियोजक श्री पी.के. नापित उपस्थित।

इस आदेश के द्वारा आवेदक/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत प्रथम नियमित जमानत आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 483 बी.एन.एस.एस. 2023 का निराकरण किया जा रहा है।

जमानत आवेदन संक्षेप में यह है कि आवेदक/अभियुक्त को थाना विंध्यनगर द्वारा दिनांक 03.06.2026 को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किये जाने पर उसे न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया है, जबकि वह निर्दोष है, उससे मादक पदार्थ जप्त नहीं किया गया है, उसे सह अभियुक्त के मेमोरेंडम कथन के आधार पर आरोपी बनाया गया है, जबकि उसका उक्त अपराध से कोई संबंध नहीं है। वह जिला सिंगरौली का स्थायी निवासी है, जिसके फरार होने की संभावना नहीं है। प्रकरण के सह अभियुक्त करण साकेत की जमानत माननीय उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर के एम.सी.आर.सी. क्रमांक 18464/2026 में पारित आदेश दिनांक 2.04.2026 के अनुसार स्वीकार की गई है और आवेदक/आरोपी भी समानता के आधार पर जमानत का पात्र है। उपरोक्त आधार पर निवेदन किया गया है कि अभियुक्त को जमानत पर रिहा किया जावे।

जमानत आवेदन के समर्थन में अभियुक्त के पिता गोविंद प्रसाद साकेत पुत्र श्री बलराम साकेत का शपत्र पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें यह उल्लिखित है कि आवेदक/अभियुक्त का यह प्रथम नियमित जमानत आवेदन पत्र है, इसके पूर्व भारत वर्ष के किसी भी न्यायालय में कोई भी जमानत आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है और न ही निराकृत हुआ है तथा अभियुक्त की ओर से **श्री नसीमुद्दीन अंसारी** अधिवक्ता को पैरवी करने हेतु अधिकृत किया गया है।

अभियोजन का प्रकरण संक्षेप में यह है कि थाना विंध्यनगर के सहायक उपनिरीक्षक रमेश प्रजापति को दिनांक 10.04.2026 को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि दो लड़के संतराम साकेत एवं विधि विरूद्ध बालक पैदल ग्रीनहार्ट कॉलोनी तरफ हेरोईन ब्रिकी करने के लिये आने वाले हैं, जिन्हें तुरंत नहीं पकड़ा गया तो वे मादक पदार्थ हेरोईन को खुर्द–बुर्द कर देंगे। तब प्राप्त मुखबिर सूचना के संबंध में विधि अनुसार कार्यवाही कर हमरॉह पुलिस स्टॉफ के साथ मुखबिर के बताये हुये स्थान पहुंचकर इंतजार किया, तब कुछ देर के बाद दो लड़के आते हुये दिखाई दिये, जिन्हं पकड़कर नाम, पता पूछने पर उन्होंने अपना नाम संतराम साकेत एवं विधि विरूद्ध बालक होना बताये, जिन्हें मुखबिर सूचना से अवगत कराया गया। इसके पश्चात अभियुक्त संतराम एवं विधि विरूद्ध बालक की तलाशी लिये जाने पर अभियुक्त संतराम के पेंट से एक चमकीले रंग की पन्नी में अवैध मादक पदार्थ हेराईन जैसा प्राप्त हुआ एवं विधि विरूद्ध की तलाशी लिये जाने पर 50 रूपये नगद प्राप्त हुआ। अभियुक्त संतराम से प्राप्त मादक पदार्थ की तौल किये जाने पर कुल 5.81 ग्राम हेराईन होना पाया गया, संदेहीगण का कृत्य धारा 8/21 स्वापक औषधि और मनः प्रभावी अधिनियम, 1985 (अत्र पश्चात **''एन.डी.पी.एस. एक्ट''**) के अंतर्गत

दंडनीय अपराध होना पाये जाने से साक्षीगण के समक्ष उक्त **5.81 ग्राम हेराईन** को जप्त कर जप्ती पत्रक तैयार किया जाकर आरोपी संतराम एवं विधि विरूद्ध किशोर को गिरफ्तार किया जाकर वापस थाना आकर आवेदक/अभियुक्त एवं विधि विरूद्ध किशोर के विरूद्ध थाना विंध्यनगर के अपराध क्रमांक 171/2026 अंतर्गत धारा 8/21 एन.डी.पी.एस. एक्ट पंजीबद्ध किया गया तथा आवेदक/अभियुक्त एवं विधि विरूद्ध बालक के मेमोरंडम कथन लेखबद्ध किये गये, जिसमें उनके द्वारा उक्त मादक पदार्थ हेराईन करण साकेत एवं अजय साकेत से खरीदकर लाना बताया गया। इसके पश्चात आरोपी संतराम को न्यायालय में प्रस्तुत किये जाने पर उसे न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया।

विवेचना के दौरान आरोपी अजय कुमार साकेत को गिरफ्तार कर दिनांक 03.06.2026 को न्यायालय में प्रस्तुत किये जाने पर उसे न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया है।

जमानत आवेदन पत्र पर उभय पक्ष के तर्क पूर्व में सुने जा चुके हैं। तर्क के दौरान आवेदक/अभियुक्त के अधिवक्ता के द्वारा व्यक्त किया गया कि प्रकरण के सह अभियुक्त करण साकेत की जमानत माननीय उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर के एम.सी.आर.सी. क्रमांक 18464/2026 में पारित आदेश दिनांक 29.04.2026 के अनुसार स्वीकार की गई है और आवेदक/आरोपी भी समानता के आधार पर जमानत का पात्र है, जिसके आधार पर जमानत दिये जाने का निवेदन किया गया है।

केस डायरी का अवलोकन किया गया।

केस डायरी के अवलोकन अनुसार माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा स्पेशल लीव **अपील क्रमांक 555/2023** रविश कमार विरूद्ध स्टेट ऑफ बिहार में पारित आदेश दिनांक 15.03.2023 एवं माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश खण्डपीठ ग्वालियर के एम.सी.सी. नम्बर 8227/2023 दीपक यादव विरूद्ध शासन में पारित आदेश दिनांक 01.04.2023 के पालन में अभियुक्त की जानकारी निम्नानुसार है::–

1–	आरक्षी केन्द्र का नाम	थाना विंध्यनगर
2–	अपराध क्रमांक	171/2026
3–	अपराध जिस धारा के अंतर्गत दर्ज है	8/21, 29 एन.डी.पी.एस. एक्ट
4–	प्रथम सूचना रिपोर्ट का दिनांक	11.04.2026

5—	घटना दिनांक	10.04.2026
6—	अभियुक्त की गिरफ्तारी का दिनांक	03.06.2026
7—	अभियोग पत्र प्रस्तुति का दिनांक	विवेचनाधीन
8—	अभियुक्त का आपराधिक रिकार्ड	01

केस डायरी के अवलोकन से दर्शित हो रहा है कि अभियोजन कहानी अनुसार थाना विंध्यनगर के अपराध क्रमांक 171/2026 अंतर्गत धारा 8/21 अधिनिय, 1985 के अभियुक्त संतराम के आधिपत्य से 5.81 ग्राम हेराईन जप्त हुआ है तथा अभियोजन कहानी अनुसार उक्त हेरोईन उसे आवेदक/अभियुक्त अजय साकेत एवं करण साकेत के द्वारा विक्रय हेतु दिया गया था। जिस आधार पर आवेदक/आरोपी अजय साकेत को इस प्रकरण में दिनांक 03.06.2026 को गिरफ्तार कर न्यायालय में प्रस्तुत किये जाने पर उसे न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है। प्रकरण में जप्तशुदा मादक पदार्थ मध्यम मात्रा का है तथा आरोपी अजय साकेत से कोई भी मादक पदार्थ जप्त नहीं हुआ है, मात्र उसके खिलाफ प्रकरण के सह अभियुक्त संतराम का मेमोरंडम कथन है तथा प्रकरण के दूसरे सह अभियुक्त करण साकेत जिसे मेमोरंडम कथन के आधार पर अभियुक्त बनाया गया था, उसे माननीय उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर के द्वारा प्रकरण क्रमांक एम.सी.आर.सी. क्रमांक 18464/2026 में पारित आदेश दिनांक 29.04.2026 के माध्यम से जमानत का लाभ दिया जा चुका है तथा प्रकरण में सह अभियुक्त करण साकेत से आवेदक/अभियुक्त अजय साकेत का मामला भिन्न होना दर्शित नहीं हो रहा है।

न्यायदृष्टांत **मनमोहन विरूद्ध स्टेट ऑफ एम.पी. आई.एल.आर. 2007 एम.पी. 837** एवं ब्रदी निहाले विरूद्ध स्टेट ऑफ एम.पी. 2006 (1) एम.पी.एल.जे. अवलोकनीय है, जिसमें यह प्रतिपादित किया गया है कि यदि किसी मामले में सह अभियुक्त की जमानत माननीय उच्च न्यायालय ने ले ली है या वरिष्ठ न्यायालय ने ले ली है, तब समान मामले वाला सह अभियुक्त समानता के सिद्धांत के आधार पर जमानत का अधिकारी हो जाता है।

अतः प्रकरण के सह अभियुक्त करण साकेत को दिये गये जमानत को देखते हुये समानता के सिद्धांत के आधार पर आवेदक/आरोपी **अजय साकेत** ओर से

प्रस्तुत **<u>प्रथम नियमित जमानत आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 स्वीकार</u>** कर आदेशित किया जाता है कि यदि आवेदक/अभियुक्त के द्वारा 50,000/— (पचास हजार रूपये) का बंध पत्र एवं इतनी ही राशि का प्रतिभूति निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रस्तुत की जावे तो उसे जमानत पर रिहा किया जावेः—

01. यह कि, अभियुक्त आपवादिक परिस्थितियों को छोड़कर न्यायालय में प्रत्येक नियत दिनांकों को व्यक्तिशः रूप से उपस्थित होगा।

02. यह कि, अभियुक्त प्रकरण के साक्षीगण को किसी भी तरह से प्रभावित अथवा प्रलोभित नहीं करेगा और न ही कोई उत्प्रेरणा, धमकी या वचन ही देगा।

आदेश की एक प्रति रिमांड पत्रावली में संलग्न किया जावे तथा एक प्रति संबधित थाने को केस डायरी सहित सूचनार्थ प्रेषित किया जावे।

प्रकरण का परिणाम अंकित कर नियमानुसार पत्रावली अभिलेखागार में भेजा जावे।

उमेश कुमार सोनी
विशेष न्यायाधीश
स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985
मुख्यालय बैढ़न जिला सिंगरौली (म.प्र.)

UMESH KUMAR SONI

Digitally signed by UMESH KUMAR SONI
Date: 2026.06.05 17:58:27 +0530